सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांक: गु0वि0–सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण–निर्देश/2403/2012–13 दिनॉक 27 अगस्त, 2012

विषयः– **सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विषयक निर्देश के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक है कि शिक्षकों के ज्ञान और शिक्षण कौशल को सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की प्रभावशाली व्यवस्था के माध्यम से निरन्तर स्तरोन्नत किया जाये। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2012–13 में ब्लाक संसाधन केन्द्रों और न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए निम्नवत प्रावधान किया गया है :–

ब्लाक /नगर संसाधन केन्द्र पर :– शैक्षिक सत्र 2012–13 में शिक्षकों की दक्षता वृद्धि हेतु निम्न सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा :–

1. बच्चों का अधिगम भय/तनाव/भेदभाव मुक्त रूचिपूर्ण विद्यालयीय वातावरण सुनिश्चित करने हेतु "राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005" में प्रस्तावित शिक्षण एवं आकलन की विधाओं को जानने और "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009" में उल्लिखित बाल अधिकारों एवं उनके संरक्षण के संबंध में कर्तव्यों एवं दायित्वों की जानकारी देने हेतु प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त शिक्षकों को आर0टी0ई0 अधिनियम–2009 के परिप्रेक्ष्य में 03 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके लिए 'संवाद' मॉड्यूल का संवर्द्धन, मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण, डायट/बी0आर0सी0 स्तर पर प्रशिक्षण का अनुश्रवण आदि कार्य राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
2. आर0टी0ई0 अधिनियम–2009 की धारा 29 (2) के प्रावधानों के अनुरूप बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के परिप्रेक्ष्य में सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2012–13 में विद्यालयों में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा एवं कार्यानुभव को सुदृढ़ करने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। तदनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त शिक्षकों को स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्यानुभव व कला शिक्षण हेतु 03 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके लिए मॉड्यूल का विकास, मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण, डायट/बी0आर0सी0 स्तर पर प्रशिक्षण का अनुश्रवण आदि कार्य राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
3. कक्षा 6–8 के विद्यार्थियों को गतिविधियों एवं प्रदत्त कार्यों के माध्यम से करके सीखने हेतु गणित की गतिविधि पुस्तिकाओं का विकास किया गया है तथा इस शिक्षण विधा के संबंध में प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय के एक गणित शिक्षक को 03 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। इस प्रशिक्षण का आयोजन राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद के माध्यम से किया जाएगा तथा राज्य स्तरीय प्रशिक्षणोपरान्त डायट/बी0आर0सी0 स्तर पर प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण के अनुरूप कक्षा–शिक्षण आदि का अनुश्रवण भी राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा करके आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी। यह प्रशिक्षण बलरामपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, ललितपुर व

दूरभाष : 2780995, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780998, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; upefa@upefa.com; upefaspo@gmail.com

रायबरेली के उन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के गणित शिक्षकों को नहीं दिया जाएगा जहां सतत व्यापक मूल्यांकन का फील्ड ट्रायल क्रियान्वित है।

4. इसी प्रकार कक्षा 6–8 के विद्यार्थियों को प्रयोगों, गतिविधियों एवं प्रदत्त कार्यों के माध्यम से करके सीखने हेतु विकसित विज्ञान की गतिविधि पुस्तिकाओं के अनुसार शिक्षण विधा में दक्षता संवर्द्धन हेतु प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय के एक विज्ञान शिक्षक को 03 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण का आयोजन राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद के माध्यम से किया जाएगा तथा राज्य स्तरीय प्रशिक्षणोपरान्त डायट/बी0आर0सी0 स्तर पर प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण के अनुरूप कक्षा–शिक्षण आदि का अनुश्रवण भी राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा करके आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी। यह प्रशिक्षण बलरामपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, ललितपुर व रायबरेली के उन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विज्ञान शिक्षकों को नहीं दिया जाएगा जहां सतत व्यापक मूल्यांकन का फील्ड ट्रायल क्रियान्वित है।

5. शैक्षिक सत्र 2011–12 में बलरामपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, ललितपुर व रायबरेली के 05–05 विद्यालयों में नवविकसित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की कार्ययोजना का फील्ड ट्रायल किया गया है। वर्ष 2012–13 में इन पॉच जनपदों के समस्त विद्यालयों में नवविकसित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की कार्ययोजना का फील्ड ट्रायल करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बलरामपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, ललितपुर व रायबरेली के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त शिक्षकों को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस कार्यक्रम के फील्ड ट्रायल के लिए हस्तपुस्तिका का संवर्द्धन, मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण, डायट/बी0आर0सी0 स्तर पर प्रशिक्षण का अनुश्रवण आदि कार्य राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा किये जायेंगे।

6. शैक्षिक सत्र 2012–13 में बलरामपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, ललितपुर व रायबरेली के 1794 प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 1, 2 एवं 3 में गतिविधि आधारित शिक्षण विधा के माध्यम से पठन–पाठन की व्यवस्था प्रारम्भ करने के लिए नवविकसित श्रेणीकृत अधिगम सामग्री का फील्ड ट्रायल करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए उपर्युक्त जनपदों के प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1, 2, 3 को पढ़ाने वाले 3–3 शिक्षकों को गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस कार्यक्रम के संचालन के लिए शिक्षक मैनुअल का संवर्द्धन, मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण, आदि कार्य राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

7. कम्प्यूटर सहायित अधिगम (Computer Aided Learning) के लिए प्रदेश के 8417 शिक्षकों को 03 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके लिए प्रशिक्षण की अंतर्वस्तु, मॉड्यूल विकास, मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण का प्रशिक्षण राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

बी.आर.सी. स्तर पर सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण में उन शिक्षामित्रों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा जो गत सत्र 2011–12 से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बी.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ब्लाक / नगर संसाधन केन्द्र पर प्रस्तावित प्रशिक्षणों के संचालन से पूर्व सर्वप्रथम राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण संचालित किया जायेगा। उसके उपरान्त जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विकासखण्ड के संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। विकासखण्ड के संदर्भदाता ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र के शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। जनपद में प्रत्येक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण और विद्यालयों में प्रशिक्षण के अनुरूप कक्षा शिक्षण का अनुश्रवण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के निर्देशन में किया जायेगा। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण को वास्तविक और प्रभावी रूप से संचालित कराने हेतु प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र पर :–

न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के समस्त शिक्षकों को 10 दिवसों का प्रशिक्षण (प्रत्येक माह में 01 दिन) दिया जायेगा। इसके लिये न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र पर प्रत्येक शिक्षक के लिये माह में एक दिन प्रशिक्षण/बैठक आयोजित की जायेगी। यह बैठक/प्रशिक्षण प्रत्येक बृहस्पतिवार को आयोजित की जायेगी तथा इसके लिये विषयों के आधार पर रोस्टर निम्नवत् तैयार किया जायेगा:–

क0 सं0	स्तर	कब	विषय	सुगमकर्ता
1.	न्याय पंचायत / नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र	माह का पहला बृहस्पतिवार	भाषा शिक्षण	संबंधित विषय के सह–समन्वयक अथवा संबंधित विषय के सी0आर0जी0 / बी0आर0जी0 / डी0आर0जी0 सदस्य।
2.		माह का दूसरा बृहस्पतिवार	विज्ञान शिक्षण	
3.		माह का तीसरा बृहस्पतिवार	गणित शिक्षण	
4.		माह का चौथा बृहस्पतिवार	सामाजिक विषय, कला, शारीरिक शिक्षा	
5.	ब्लाक / नगर संसाधन केन्द्र	माह का अन्तिम कार्यदिवस वाला शनिवार	गुणवत्ता के संदर्भ में एन0पी0आर0 सी0सी0 / ए0बी0आर0 सी0सी0 की बैठक	

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक का कार्य संसाधन केन्द्र के अन्तर्गत होने वाली अकादमिक गतिविधियों का समन्वय करना होता है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षकों के साथ संवाद (विद्यालय भ्रमण के दौरान शिक्षकों से बातचीत और कक्षावलोकन आदि माध्यमों से) की स्थिति बनायी जाये। संवाद और विचार–विमर्श से ही प्रत्येक शिक्षक की विशिष्टताओं और चुनौतियों की जानकारी प्राप्त हो सकती है।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर प्रशिक्षण के समय शिक्षकों के मध्य पाठ्य पुस्तकों में शामिल विषय–वस्तु के बारे में विस्तार से विचार–विमर्श कराया जाये और उन्हें पुस्तकों के अलावा ऐसी और भी सामग्री के संदर्भ दिये जाये जिससे उनकी जानकारी बढ़ सके। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर कम से कम 7.00 घंटे का मासिक प्रशिक्षण हो और वहाँ शिक्षक सामूहिक रूप से काम करें , ताकि विषय–वस्तु और शिक्षण शास्त्र पर उनकी समझ मजबूत हो। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर संदर्भदाताओं के अभाव को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण की रचना की जाये तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक संयोजन की भूमिका करे न की संदर्भदाता की। मासिक प्रशिक्षण के दौरान ऐसा वातावरण बनाया जाये जिसमें शिक्षक अपने ज्ञान की रचना स्वयं करें। ज्ञान निर्माण के परिप्रेक्ष्य में जो बात बच्चों और शिक्षकों के सम्बन्ध के बारे में सच है वही बात शिक्षकों और समन्वयकों के सम्बन्ध के बारे में भी सच है। संसाधन केन्द्र समन्वयक को एक संयोजक की भूमिका अपनानी होगी ताकि शिक्षक मासिक बैठकों में सघन चर्चा कर के अलग अलग विषयों, शिक्षण–शास्त्रीय बिन्दुओं पर समझ बना सकें। इसके लिए संसाधन केन्द्र समन्वयक को प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों के सामने ऐसे प्रश्नों को रखना है जिनके उत्तरों को तलाशने के क्रम में शिक्षक न सिर्फ संसाधन केन्द्र के पुस्तकालयों में रखी पुस्तकों से गुजरे बल्कि उस परिवेश को समझने की भी कोशिश करें जिसमे वह पढाता है। मासिक प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों के समक्ष कार्ययोजना के मुताबिक उपयुक्त प्रश्नों को रखा जाये और उसका उत्तर खोजने के लिए शिक्षकों को प्रेरित किया जाये। प्रश्नों को तैयार करते समय ध्यान रखा जाये कि :–

- प्रश्न ऐसे हो जिनके उत्तर को तलाशने की प्रक्रिया में शिक्षक को समूचे पाठ्यक्रम से बार–बार गुजरने की आवश्यकता पड़े।
- शिक्षक यह महसूस करे कि उसे अपने स्कूल के बच्चों और उनके परिवेश को समझना होगा।
- प्रश्नों का क्रम इस प्रकार हो कि शिक्षक हायर आर्डर लर्निंग की ओर बढ़ें।

उपर्युक्त प्रकिया से न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर सार्थक विचार–विमर्श संभव हो सकेगा। उदाहरण के लिए गणित की विषयवस्तु पर शिक्षकों की समझ बनाने के लिए जरुरी है की शिक्षक कक्षा एक से आठ तक की विषय वस्तु पर काम करें और समस्या आने पर संसाधन केन्द्र पर प्रशिक्षण के समय अन्य शिक्षकों की मदद से उत्तर खोजें। इसी प्रकार भाषा–शिक्षण में यह जरुरी है कि शिक्षक भाषा शिक्षण के उद्देश्य और विधि से परिचित हो सके तथा यह समझ सके की बच्चों के इर्द–गिर्द शब्द संसार की रचना कैसे की जाये. इसके लिए वे पहले खुद यह समझें की किन किन विधियों के जरिये बच्चों के इर्द–गिर्द शब्द संसार की रचना की जा सकती है, क्लस्टर पर मीटिंग के दौरान शिक्षक ना सिर्फ भाषा शिक्षण की विभिन्न विधियों पर चर्चा करें बल्कि वह यह जानने की कोशिश भी करें की बच्चों के कौन से साहित्य लिखित तौर पर पुस्तकों के रूप में उपलब्ध हैं और कौन से साहित्य मौखिक रूप से बच्चों के बीच में मौजूद हैं जैसे–बाल गीत, लोक कथाएं, लोक मुहावरें इत्यादि। संसाधन केन्द्र समन्यवक जिला और राज्य की मदद से शिक्षकों को यह बताएं की विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियाँ क्या हो सकती है और किस प्रकार के बाल साहित्य बच्चों को दिए जा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण विधि पर शिक्षक आपसी चर्चा के जरिये एक दूसरे को यह बताएं की किन किन विधियों के प्रयोग से बच्चे अपने नजदीकी

परिवेश, गाँव, कस्बा, स्थानीय इतिहास इत्यादि से परिचित हो सकते है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए शिक्षक और कौन कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं इसकी जानकारी दी जाये। विज्ञान शिक्षण के लिए शिक्षक आपसी चर्चा के जरिये यह बताएं की विभिन्न पाठों के लिए उन्होंने कौन सी विधि का प्रयोग किया है। क्या उन्होंने बच्चों से कोई प्रयोग करवायें है? क्या विज्ञान को समझने के लिए उन्होंने स्थानीय ज्ञान का इस्तेमाल किया है या विज्ञान के माध्यम से स्थानीय स्थितियों को समझने का कोई प्रयास किया है? संसाधन केन्द्र समन्वयक की यह भूमिका है कि वह विभिन्न प्रकार की विधियों को लिखित रूप से इकट्ठा करे और शिक्षकों के बीच पहुचाये।

शिक्षक सामूहिक रूप से काम करके अपने ज्ञान का निर्माण कर सकें, इसके लिए न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक निम्न कार्यवाही संपादित करें :–

- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर प्रत्येक शिक्षक की विशिष्टता और कमज़ोरियों की जानकारी रहे।
- शिक्षकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की अपनी एक कार्य योजना बनायी जाये जिसे जिला स्तर पर होने वाली बैठक में साझा किया जाये। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर प्रत्येक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की कार्ययोजना लिखित तौर संकलित हो और इसके बारे में ब्लाक संसाधन केन्द्र को भी जानकारी हो।
- प्रत्येक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की कार्ययोजना में यह स्पष्ट होना चाहिए की साल भर आयोजित होने वाले मासिक प्रशिक्षणों में किन बिन्दुओं पर चर्चा की जायेगी। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण का स्पष्ट लिखित एजेंडा होना चाहिए।
- न्याय पंचायत/ब्लाक संसाधन केन्द्र को उपलब्ध कराये गये अनुदान से पढने–पढाने का माहौल बनाने के लिए स्कूली किताबों के अलावा अन्य संदर्भ सामग्री/किताबों को भी उपलब्ध कराया जाये। इस संदर्भ सामग्री का चयन शिक्षकों की आवश्यकता के आधार पर किया जाये।

शैक्षिक सत्र 2012–13 में जनपद के सेवारत शिक्षक–प्रशिक्षण की प्रगति निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत की जायेगी :–

प्राथमिक स्तर

क्र.स.	वर्ष 2012–13 में अनुमोदित प्रशिक्षणों के नाम	लक्ष्य (मैनडेज में)	प्रतिभागी शिक्षकों की संख्या	प्रशिक्षण दिवस की संख्या	उपलब्धि (मैनडेज में)	उपलब्धि (वित्तीय)
बी0आर0सी0 स्तर पर						
एन0पी0आर0सी0 स्तर पर						
योग						

उच्च प्राथमिक स्तर

क्र.स.	वर्ष 2012–13 में अनुमोदित प्रशिक्षणों के नाम	लक्ष्य (मैनडेज में)	प्रतिभागी शिक्षकों की संख्या	प्रशिक्षण दिवस की संख्या	उपलब्धि (मैनडेज में)	उपलब्धि (वित्तीय)
बी0आर0सी0 स्तर पर						
एन0पी0आर0सी0 स्तर पर						
योग						

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 संदर्भदाताओं का तथा बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 पर एन0पी0आर0सी0 संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण

क्र.स.	वर्ष 2012–13 में अनुमोदित प्रशिक्षणों के नाम	लक्ष्य (मैनडेज में)	प्रतिभागी संदर्भदाताओं की संख्या	प्रशिक्षण दिवस की संख्या	उपलब्धि (मैनडेज में)	उपलब्धि
डायट पर						
बी0आर0सी0 पर						
योग						

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण संचालित करने हेतु सामान्य निर्देश–

1. सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण के अन्तर्गत बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 पर प्रशिक्षण तथा एन0पी0आर0सी0/यू0ई0आर0सी0 पर फॉलोअप प्रशिक्षण/समीक्षा बैठकों का सुचारू कियान्वयन करने के लिये प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) द्वारा प्रत्येक दशा में ***30 अगस्त, 2012 तक*** जनपद की प्रशिक्षण की कार्ययोजना बनायी जायेगी। कार्ययोजना में केवल प्रशिक्षण कराने की समयसारिणी ही नहीं बनायी जायेगी वरन् इसमें निम्न पक्षों को भी समाहित किया जाय :–
   (i) जनपदों के वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालयों/राजकीय विद्यालयों/वित्तीय सहायता प्राप्त मदरसों आदि के शिक्षकों को सम्मिलित करते हुये प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का निर्धारण।
   (ii) प्रति बैच 50 शिक्षकों को ध्यान में रखकर सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण सम्पन्न कराने के लिए कार्य दिवसों की गणना।
   (iii) आवश्यकतानुसार स्थानीय इण्टर, डिग्री एवं बी0एड0 कालेज के विषय विशेषज्ञों / शिक्षाविदों अथवा स्वयंसेवी संस्थानों के विशेषज्ञों को अतिथि वक्ता /आमंत्री अतिथि के रूप में चिह्नांकन।
   (iv) प्रशिक्षणों के संचालन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण में बतायी गयी विधा के अनुरूप कक्षा शिक्षण का अनुश्रवण कराने के लिए योग्यता, रूचि, अनुभव के आधार पर संदर्भदाताओं का चिह्नांकन और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप (डी0आर0जी0), ब्लॉक रिसोर्स ग्रुप (बी0आर0जी0) एवं क्लस्टर रिसोर्स ग्रुप (सी0आर0जी0) का गठन।
   (v) बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक/डायट मेण्टर/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की सम्मिलित करके प्रशिक्षणोंपरान्त अनुश्रवण की रणनीति, जिसमें एक दिवसीय प्रशिक्षण का अनुश्रवण करने के लिये एक शैक्षिक सत्र में प्रत्येक एन0पी0आर0सी0 पर दो बार अनिवार्य रूप से पर्यवेक्षण भी सम्मिलित हो।
2. प्रशिक्षण के संचालन, अनुश्रवण एवं परिवर्द्धन विषयक समस्त निर्देश प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा एन0पी0आर0सी0/बी0आर0सी0 समन्वयकों को लिखित रूप में प्रेषित किये जायें। प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षण एवं शैक्षिक गतिविधि के अभिलेख जैसे प्रतिभागियों की सूची, समय–सारिणी एवं प्रशिक्षण दिवस की आख्या तथा प्रशिक्षण की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य रूप से रखी जाये। इन निर्देशों के विचलन की दशा में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) उत्तरदायी होंगे।
3. सभी प्रशिक्षणों के समय प्रतिभागियों का प्रशिक्षण पूर्व (Pre-Training test) एवं प्रशिक्षण पश्चात् (Post-Training Test) मूल्यांकन अवश्य करायें, जिससे प्रशिक्षण के प्रभावों का अध्ययन किया जा सके।
4. कक्षा–कक्ष में प्रशिक्षण के प्रभाव के आकलन की आख्या पर बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0/डायट की बैठकों में चर्चा की जायेगी। आकलन के आधार पर चिह्नित गैप्स को न्याय पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण में पूरा किया जायेगा।
5. जनपद के वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, समाज कल्याण विभाग के विद्यालयों तथा वित्तीय सहायता प्राप्त मदरसों के कक्षा 1–5 तक पढ़ाने वाले अधिकतम 5 तथा कक्षा 6–8 को पढ़ाने वाले अधिकतम तीन शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जाये।
6. यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाये कि शैक्षिक सत्र 2012–13 में एन0पी0आर0सी0/यू0ई0आर0सी0 पर 01 दिवसीय फालोअप प्रशिक्षण/बैठक का संचालन सितम्बर, 2012 से प्रत्येक माह नियमित रूप से होता रहे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र पर शैक्षिक सत्र 2012–13 में प्रस्तावित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्धारित की गयी तिथियों में आयोजित कराया जायेगा। एन0पी0आर0सी0/यू0ई0आर0सी0 पर 01 दिवसीय फालोअप प्रशिक्षण/बैठक और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र पर सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की प्रगति की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
7. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन करने में यह ध्यान रखा जाये कि प्रशिक्षण के कारण विद्यालय बन्द न हो जाये। प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने के लिए निर्धारित तिथि से एक दिन पहले जाने के लिए तथा एक दिन बाद आने के लिए अवकाश कदापि देय नही होगा।
8. जनपद स्तर/ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाले प्रत्येक सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के लिए राज्य

परियोजना कार्यालय से पृथक–पृथक विस्तृत निर्देश प्रेषित किये जायेंगे, जिनमें मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण और प्रशिक्षण मॉडयूल की उपलब्धता के विषय में अवगत कराया जायेगा। अतः मास्टर ट्रेनर्स एवं प्रशिक्षण मॉडयूल के बिना जनपद/ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कदापि आयोजित न करें। **यदि किसी जनपद में इस प्रकार के अनियमित प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं तो प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) एवं ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।**

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय निर्देश–

1. वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2012–13 में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण संचालन हेतु स्वीकृत बजट का 50 प्रतिशत रू0 6825.765 लाख (अडसठ करोड पच्चीस लाख छियत्तर हजार पॉच सौ मात्र) धनराशि संलग्न तालिकानुसार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को अवमुक्त की जा रही है। प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) ब्लाक संसाधन केन्द्रों और न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों में प्रतिभागी संख्या एवं प्रशिक्षण दिवस का आगणन करते हुये न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों और विकासखण्ड संसाधन केन्द्रों को धनराशियॉ प्रशिक्षण हेतु निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध करायेंगे। नियमानुसार धनराशि आहरण एवं समय से हस्तान्तरण के लिए प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला परियोजना कार्यालय उत्तरदायी होंगे।
2. ब्लाक संसाधन केन्द्रों/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विषयक धनराशि का आहरण एवं उपभोग करने के लिए संबंधित संसाधन केन्द्र के समन्वयक, लेखाकार एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
3. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर प्रेषित धनराशि का आहरण, खातों का रख–रखाव एवं व्यय प्रक्रिया सम्बन्धी समस्त कार्यवाही मैनुअल ऑन फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेंट के प्रावधानों के अनुसार प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला परियोजना कार्यालय, खण्ड शिक्षा अधिकारी, समन्वयक एवं लेखाकार द्वारा किया जायेगा।
4. वर्ष 2012–13 हेतु अवमुक्त धनराशि के व्यय की समीक्षा के उपरान्त मैनुअल ऑन फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेंट में दिये गये प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाणपत्र **दिनांक 30 नवम्बर, 2012** तक प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला परियोजना कार्यालय द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय में अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जायेगा।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), जिला परियोजना कार्यालय द्वारा जनपदों में विभिन्न स्तरों पर होने वाले सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण पर व्यय गत वर्ष निर्देशित दरों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
6. जनपद में संचालित किये जा रहे ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रशिक्षणों तथा प्रशिक्षण में बतायी गयी शिक्षण विधा के अनुसार विद्यालयों में कक्षा शिक्षण होने का नियमित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जायेगा। डी0आर0जी0/बी0आर0जी0 सदस्यों द्वारा प्रशिक्षणों की गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण के अनुरूप कक्षा शिक्षण में बदलाव के आकलन हेतु किये गये पर्यवेक्षण/अनुश्रवण सम्बन्धी व्यय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को आर0ई0एम0एस0 मद में प्रेषित धनराशि से वहन किया जायेगा।

अनुश्रवण, वीडियो रिकार्डिंग एवं अभिलेखीकरण–

प्रत्येक स्तर पर होने वाले सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की प्रतिदिन – प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के समय 05 मिनट, प्रशिक्षण की मध्यावधि में 05 मिनट और प्रशिक्षण समाप्त होते समय 05 मिनट – नियमित वीडियो रिकार्डिंग करायी जाय। रिकार्डिंग इस प्रकार करायी जाये कि समस्त प्रतिभागियों की प्रशिक्षण अवधि में उपस्थिति एवं अभिरूचि ज्ञात हो सके। प्रशिक्षण अवधि में प्रतिदिन लगभग 10 फोटोग्राफ भी इस प्रकार लिये जायें कि समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रतिभागियों की पूरे प्रशिक्षण अवधि में उपस्थिति आच्छादित हो सके।

यदि किसी भी स्तर पर वीडियो रिकार्डिंग/फोटोग्राफी नहीं करायी जाती है तो इसके लिए संबंधित जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुश्रवण, वीडियो रिकार्डिंग एवं अभिलेखीकरण पर होने वाला व्यय जनपदों के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यालय एवं ब्लाक संसाधन केन्द्र में उपलब्ध आर0ई0एम0एस0 मद की धनराशि से वहन किया जायेगा। उक्त व्यय की जाने वाली धनराशि का आहरण, खातों का रखरखाव एवं व्यय प्रक्रिया संबंधी समस्त कार्यवाही मैनुअल ऑन फाइनेन्शियल एण्ड प्रोक्योरमेण्ट के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

<u>प्रशिक्षण एवं कक्षा शिक्षण का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन</u>

प्रत्येक बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने, विद्यालयों में रूचिपूर्ण और भेदभाव रहित अधिगम वातावरण बनाने और शिक्षकों के सतत दक्षता संवर्द्धन हेतु शैक्षिक पर्यवेक्षण और अनुसमर्थन आवश्यक है। इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण एवं कक्षा शिक्षण का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन करने के लिये कार्ययोजना निम्नवत् होगी :–

1. प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक माह प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नामित प्रत्येक विकासखण्ड के मेण्टर कम से कम 10 प्रशिक्षण स्थलों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करेंगे। खण्ड शिक्षा अधिकारी,सह–समन्वयक, ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा प्रत्येक माह न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले 10 फॉलो–अप प्रशिक्षण का निरीक्षण करेंगे। प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) द्वारा प्रत्येक स्तर के अनुश्रवणकर्ताओं से नियमित निरीक्षण आख्यायें प्राप्त कर संकलित की जायेंगी। निरीक्षणों से प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग शैक्षिक कार्यक्रमों के परिणामों का विश्लेषण करने, अनुसमर्थन प्रदान करने, फीडबैक प्रदान करने तथा गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु नवीन रणनीतियों को बनाने एवं कियान्वित करने में किया जायेगा।
2. इसी प्रकार प्रत्येक माह में न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र समन्वयक 05 विद्यालयों, सह–समन्वयक, ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र समन्वयक 15 विद्यालयों तथा समन्वयक, ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र माह में कम से कम 10 विद्यालयों का कक्षावलोकन सुनिश्चित करेंगे। प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) द्वारा कक्षावलोकनों से प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग शैक्षिक कार्यक्रमों के परिणामों का विश्लेषण करने, अनुसमर्थन प्रदान करने, फीडबैक प्रदान करने तथा गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु नवीन रणनीतियों को बनाने एवं कियान्वित करने में किया जायेगा।
3. न्याय पंचायत /नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र स्तर की बैठकों/प्रशिक्षणों का संचालन न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा किया जायेगा। संबंधित विषय के ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र सह–समन्वयक न्याय पंचायत स्तरीय साप्ताहिक बैठकों/प्रशिक्षणों का इस प्रकार से नियोजन करेंगे कि पूरे शैक्षिक सत्र में विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर की प्रत्येक न्याय पंचायत की बैठक में वह प्रतिभाग कर सकें। प्रत्येक माह में सह–समन्वयक, ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र 04 तथा समन्वयक, ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र कम से कम 02 न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्रों की बैठक/प्रशिक्षण में प्रतिभाग सुनिश्चित करेंगे।
4. न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र के समन्वयक अपनी न्याय पंचायत में स्थित विद्यालयों के कक्षावलोकन प्रपत्रों तथा केन्द्र पर सम्पन्न होने वाली मासिक बैठकों/प्रशिक्षणों के आधार पर निर्धारित प्रपत्र पर विश्लेषण आख्या तैयार करके ब्लाक संसाधन केन्द्र को माह के अन्तिम कार्यदिवस पर उपलब्ध करायेंगे।
5. ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र के समन्वयक/सह–समन्वयक अपने कक्षावलोकन प्रपत्रों, केन्द्र पर सम्पन्न होने वाली मासिक बैठकों/प्रशिक्षणों तथा न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र के समन्वयकों की मासिक विश्लेषण आख्या के आधार पर निर्धारित प्रपत्र पर आख्या तैयार करके अगले माह के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
6. इसी प्रकार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला परियोजना कार्यालय अपने कक्षावलोकन प्रपत्रों, जिला स्तरीय मासिक बैठकों/प्रशिक्षणों तथा ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र के समन्वयकों की

मासिक विश्लेषण आख्या के आधार पर अगले माह के द्वितीय सप्ताह तक निर्धारित प्रपत्र पर आख्या तैयार करके राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे तथा संसाधन केन्द्रों/विद्यालयों को अनुसमर्थन हेतु यथोचित निर्देश भी प्रदान करेंगे। यह संकलित विश्लेषण आख्या जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से तैयार करेंगे। इन आख्याओं पर प्रत्येक स्तर पर विचार–विमर्श किया जायेगा तथा अपेक्षित रणनीतियाँ विकसित करने हेतु वाँछित फीडबैक प्रदान किया जायेगा।

7. कक्षा अवलोकन प्रपत्र व विविध स्तर के विश्लेषण प्रपत्रों का प्रारूप गत वर्ष "सम्वाद" पुस्तिका में उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

उपर्युक्तानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय,

(अतुल कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0 ... गु0वि0–सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण–निर्देश/2403/2012–13 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें :–

1. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 निशातगंज लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक) विद्याभवन निशातगंज लखनऊ।
3. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0।
4. वित्त नियंत्रक, सर्व शिक्षा अभियान, राज्य परियोजना कार्यालय।
5. श्री अभिनव सिन्हा, वरिष्ठ विशेषज्ञ, नियोजन एवं अनुश्रवण, राज्य परियोजना कार्यालय।
6. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) समस्त मण्डल।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
8. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), समस्त जनपद को इस आशय से साथ प्रेषित कि उपर्युक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करें तथा विचलन की आवश्यकता की दशा में राज्य परियोजना कार्यालय से पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त करें।
9. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला परियोजना कार्यालय, समस्त जनपद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भुगतान से पूर्व वर्णित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
10. वैयक्तिक सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय।

27.8.12

(दिनेश बाबू शर्मा)
अपर परियोजना निदेशक

पत्रांक: गु0वि0–सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण–निर्देश/ 2403 /2012–13 दिनाँक 27 अगस्त, 2012 का संलग्नक

District	Approval of In-service Teachers' Training at BRC level - 10 days (@ Rs.200/- per head per day)		Approval of One day monthly meetings for 10 months for all teachers at CRC level - 10 days (@ Rs.100/- per head per day)		Approval of Training for all Resource Persons, Master Trainers, BRC & CRC Coordinators for 10 days (@ Rs. 200/- per head per day)		50% In-service Teachers' Training Budget at BRC level @ Rs.200/- per head per day	50% In-service Teachers' Training Budget at CRC level @ Rs.100/- per head per day	50% Training Budget for all Resource Persons, Master Trainers, BRC & CRC Coordinators @ Rs.200/- per head per day
	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Fin.	Fin.	Fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-Agra	7359	147.18	8479	84.79	128	2.56	73.59	42.395	1.28
2-Aligarh	7244	144.88	8154	81.54	331	6.62	72.44	40.77	3.31
3-Allahabad	10636	212.72	12106	121.06	556	11.12	106.36	60.53	5.56
4-Ambedkar Nagar	6078	121.56	6778	67.78	273	5.46	60.78	33.89	2.73
5-Auraiya	5182	103.64	5742	57.42	141	2.82	51.82	28.71	1.41
6-Azamgarh	11011	220.22	12621	126.21	463	9.26	110.11	63.105	4.63
7-Badaun	6457	129.14	7787	77.87	271	5.42	64.57	38.935	2.71
8-Baghpat	2340	46.80	2760	27.60	96	1.92	23.4	13.8	0.96
9-Baharaich	6966	139.32	8016	80.16	257	5.14	69.66	40.08	2.57
10-Balia	8429	168.58	9689	96.89	459	9.18	84.29	48.445	4.59
11-Balrampur	4362	87.24	5062	50.62	182	3.64	43.62	25.31	1.82
12-Banda	5536	110.72	6166	61.66	144	2.88	55.36	30.83	1.44
13-Barabanki	7892	157.84	9012	90.12	33	0.66	78.92	45.06	0.33
14-Bareilly	7805	156.10	8801	88.01	274	5.48	78.05	44.005	2.74
15-Basti	6004	120.08	7054	70.54	260	5.20	60.04	35.27	2.6
16-Bhadohi	3825	76.50	4315	43.15	136	2.72	38.25	21.575	1.36
17-BheemNagar	4590	91.80	4590	45.90	138	2.76	45.9	22.95	1.38
18-Bijnor	7364	147.28	8204	82.04	227	4.54	73.64	41.02	2.27
19-Buland Shahar	6768	135.36	7888	78.88	282	5.64	67.68	39.44	2.82
20-Chandauli	4575	91.50	5116	51.16	176	3.52	45.75	25.58	1.76
21-CSM Nagar	4782	95.64	5975	59.75	382	7.64	47.82	29.875	3.82
22-Chitrakoot	3815	76.30	4165	41.65	97	1.94	38.15	20.825	0.97
23-Deoria	7763	155.26	5641	56.41	136	2.72	77.63	28.205	1.36
24-Etah	5368	107.36	4188	41.88	143	2.86	53.68	20.94	1.43
25-Etawah	5246	104.92	5876	58.76	0	0.00	52.46	29.38	0
26-Faizabad	5643	112.86	6483	64.83	227	4.54	56.43	32.415	2.27
27-Farrukhabad	5385	107.70	5957	59.57	152	3.04	53.85	29.785	1.52
28-Fatehpur	7588	151.76	8568	85.68	357	7.14	75.88	42.84	3.57
29-Firozabad	5119	102.38	5819	58.19	161	3.22	51.19	29.095	1.61
30-GBNagar	2015	40.30	2295	22.95	69	1.38	20.15	11.475	0.69
31-Ghaziabad	1785	35.70	2415	24.15	66	1.32	17.85	12.075	0.66
32-Ghazipur	7213	144.26	8403	84.03	330	6.60	72.13	42.015	3.3

[illegible]

33-Gonda	6281	125.62	7471	74.71	303	6.06	62.81	37.355		3.03
34-Gorakhpur	9394	187.88	10794	107.94	0	0.00	93.94	53.97		0
35-Hamirpur	3073	61.46	3563	35.63	115	2.30	30.73	17.815		1.15
36-Hardoi	10052	201.04	11452	114.52	352	7.04	100.52	57.26		3.52
37-Hathrus	3741	74.82	4301	43.01	129	2.58	37.41	21.505		1.29
38-Jalaun	4125	82.50	4825	48.25	242	4.84	41.25	24.125		2.42
39-Jaunpur	8812	176.24	10373	103.73	176	3.52	88.12	51.865		1.76
40-Jhansi	4718	94.36	5348	53.48	137	2.74	47.18	26.74		1.37
41-JPNagar	4288	85.76	4778	47.78	133	2.66	42.88	23.89		1.33
42-Kannauj	4308	86.16	4895	48.95	154	3.08	43.08	24.475		1.54
43-Kanpur Dehat	5957	119.14	6657	66.57	190	3.80	59.57	33.285		1.9
44-Kanpur Nagar	7315	146.30	8085	80.85	255	5.10	73.15	40.425		2.55
45-Kanshiram Ngr.	3378	67.56	3037	30.37	141	2.82	33.78	15.185		1.41
46-Kaushambi	3999	79.98	4559	45.59	149	2.98	39.99	22.795		1.49
47-Kushinagar	5966	119.32	6946	69.46	321	6.42	59.66	34.73		3.21
48-Lakhimpur	7592	151.84	8712	87.12	285	5.70	75.92	43.56		2.85
49-Lalitpur	3691	73.82	4181	41.81	105	2.10	36.91	20.905		1.05
50-Lucknow	6514	130.28	7216	72.16	197	3.94	65.14	36.08		1.97
51-Maharajganj	4996	99.92	5906	59.06	207	4.14	49.96	29.53		2.07
52-Mahoba	2262	45.24	2612	26.12	80	1.60	22.62	13.06		0.8
53-Mainpuri	5270	105.40	5970	59.70	241	4.82	52.7	29.85		2.41
54-Mathura	6098	121.96	6868	68.68	178	3.56	60.98	34.34		1.78
55-Mau	5862	117.24	6562	65.62	183	3.66	58.62	32.81		1.83
56-Meerut	4173	83.46	5153	51.53	207	4.14	41.73	25.765		2.07
57-Mirzapur	5368	107.36	6278	62.78	210	4.20	53.68	31.39		2.1
58-Moradabad	4648	92.96	5628	56.28	203	4.06	46.48	28.14		2.03
59-Muzaffar Nagar	3783	75.66	4833	48.33	153	3.06	37.83	24.165		1.53
60-Panchsheel Ngr.	1995	39.90	1995	19.95	81	1.62	19.95	9.975		0.81
61-Pilibhit	4636	92.72	5196	51.96	143	2.86	46.36	25.98		1.43
62-Prabuddha Ngr.	2552	51.04	2552	25.52	79	1.58	25.52	12.76		0.79
63-Pratapgarh	7307	146.14	8567	85.67	316	6.32	73.07	42.835		3.16
64-RaiBareilly	5801	116.02	6921	69.21	257	5.14	58.01	34.605		2.57
65-Rampur	5434	108.68	5924	59.24	132	2.64	54.34	29.62		1.32
66-Saharanpur	6850	137.00	7690	76.90	211	4.22	68.5	38.45		2.11
67-SKNagar	3263	65.26	3893	38.93	229	4.58	32.63	19.465		2.29
68Shahjahanpur	7273	145.46	8393	83.93	251	5.02	72.73	41.965		2.51
69-Siddharth Ngr.	5744	114.88	6724	67.24	265	5.30	57.44	33.62		2.65
70-Sitapur	10376	207.52	11779	117.79	380	7.60	103.76	58.895		3.8
71-Sonebhadra	3890	77.80	4450	44.50	164	3.28	38.9	22.25		1.64
72-Srawasti	2832	56.64	2631	26.31	94	1.88	28.32	13.155		0.94
73-Sultanpur	6164	123.28	7214	72.14	354	7.08	61.64	36.07		3.54
74-Unnao	7703	154.06	8893	88.93	310	6.20	77.03	44.465		3.1
75-Varanasi	6811	136.22	7441	74.41	182	3.64	68.11	37.205		1.82
Total	426440	8528.80	481391	4813.91	15441	308.82	4264.4	2406.955		154.41